Board Of School Education Haryana



मॉडल पेपर

उत्तर

2025

aglasem.com





Answer key

कक्षा: 11

विषय: लोक प्रशासन

Ans1. प्रबंधकीय दृष्टिकोण 1

Ans2. एकाधिकार 1

Ans3. 153 1

Ans4. वी. एन. पुरी 1

Ans5. पुलिस अधीक्षक 1

Ans6. हेनरी फेयोल 1

Ans.7 पद- सोपान 1

Ans.8 6 महीने 1

Ans.9 पंचायत समिति 1

Ans.10 लोकसभा का अध्यक्ष 1

Ans.11 लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है 1

Ans.12 किसी संगठन एवं जनता के बीच संपर्क 1

Ans.13 राजनीतिक विज्ञान से 1

Ans.14 दो प्रकार के होते हैं – 1)औपचारिक संगठन

2) अनौपचारिक संगठन 1

Ans.15 लोकसभा 1

Ans.16 तीन स्तर. 1

Ans.17 14 1

Ans 18 वित्त मंत्रालय 1

Ans.19 (B) A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R नहीं है।

1

Ans. 20 (C) A सही है ,लेकिन R गलत है। 1

अति लघु उत्तरात्मक उत्तर

Ans 21 1.प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है।

2. प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना निहित है।

3. प्रशासन सामूहिक प्रयत्नों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करके उद्देश्य की प्राप्ति करता है।

2

इत्यादि।

Ans. 22 1.यह निजी लाभ कमाने पर बल देता है। 2

2. यह व्यापारिक तथा वाणिज्य का क्षेत्र में उपयोगी है।

इत्यादि।

अथवा

प्रशासन का वह स्वरूप जिसमें सार्वजनिक जनता का कल्याण निहित हो लोक प्रशासन कहलाता है।

Ans.23 1.राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्य कड़ी का काम करना 2

2. मंत्रिमंडल की बैठकों के अध्यक्षता करना

3.राज्यपाल का मुख्य सलाहकार

4.मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करना

5.विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना

इत्यादि।

Ans.24 1. संगठन के सभी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है ।
2

2.इस पद्धति में आदेश की एकता के सिद्धांत को पूर्ण मान्यता दी जाती है।

Ans.25 किसी उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी के कार्यों का अवलोकन पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना तथा उनके परिणामों की जांच करना भी आता है। 2

अथवा

1.कार्य की विषय वस्तु का विशेष ज्ञान

2.जनसंपर्क व्यवहार में प्रशिक्षित, कार्य से प्रेम, साहस और सहनशीलता

3.प्रशासकीय योग्यताएं, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। इत्यादि।

Ans26. 1) समन्वय करना कठिन. 2

2) प्रशासन में एकरूपता का अभाव

इत्यादि।

अथवा

1)निर्णय लेने में शीघ्रता

2)धन की बचत, समय की बचत।

इत्यादि।

Ans27. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया. जाता है। परंपरा के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। 2

Ans28. वित्त पर नियंत्रण करने के लिए संसद की तीन समितियां होती हैं : 2

1)लोक लेखा समिति 2)आकलन समिति 3) सरकारी उद्यम समिति

Ans29. 1) प्रेस तथा प्रशासन विभाग

2) रेडियो एवं टेलीविजन

इत्यादि।

भाग स

लघु उत्तरात्मक उत्तर



Ans30. 1)लोक प्रशासन की व्यक्तिगत जीवन में भूमिका - लोक प्रशासन. व्यक्ति के जीवन में पूर्व से लेकर अंत तक साथ रहता है। बालक जन्म से पूर्व सरकार द्वारा संचालित प्रसूति गृह ,गर्भवती महिला की देखभाल, राज्य संचालित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा समाप्ति पर रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना, राज्य परिवहन की बस या रेल मंत्रालय द्वारा संचालित रेलगाड़ी में यात्रा करना, कर दाता के रूप में आयकर विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करना ,स्थानीय स्तर पर शिक्षा ,स्वास्थ्य ,बिजली ,पानी, सफाई आदि जीवन की सभी गतिविधियों में लोक प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी निभाता है।

2)लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व- प्रशासक प्रशासन के विविध कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकते हैं जब उन्हें प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान हो। प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना प्रशासन में समन्वय कैसे स्थापित करें, अधीनस्थ कर्मचारियों को अनुशासित कैसे रखें, एक अच्छा प्रशासक कैसे बने, इन सभी प्रश्नों का जवाब केवल लोक प्रशासन के समुचित ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

3)लोक नीति को व्यवहारिक जामा पहनाने वाला यंत्र. - लोक प्रशासन बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीतियों को लागू करता है। यदि लोक प्रशासन ना हो तो यह नीतियां नियम कार्यक्रम तथा नियोजन केवल कागज के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे।

4)सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना - समाज के सभी वर्गों के मध्य जीवन के आधारभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा और मकान व्यवस्थित और समान रूप से वितरित करने का कठिन कार्य लोक प्रशासन द्वारा किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन से होने वाली उथल-पुथल ,जातीय धार्मिक व सांप्रदायिक दंगे युद्ध के कारण उत्पन्न बधाओ का सामना करके एक स्थिर समाज का निर्माण केवल लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। 4

इत्यादि।

अथवा

Ans.

1) प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम होता है।
2) प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है।
3) प्रशासन सामूहिक प्रयत्नों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करके उद्देश्य की प्राप्ति करता है।
4) यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है।
5) प्रशासन एक प्रक्रिया है जो अनेक उप प्रक्रियाओं से मिलकर बनी है जैसे योजना, संगठन ,कार्मिक प्रशासन,निर्देशन ,समन्वय, नियंत्रण ,

इत्यादि।

Ans 31.लोक प्रशासन निजी प्रशासन से कई तरीकों से विभिन्न असमानताएं रखता है। जो कि निम्न है - 4

1) कानून पालन की दृष्टि से

2) क्षेत्र की भिन्नता

3) कार्यों के स्वरूप के आधार पर अंतर

4) लाभ की दृष्टि से लोक प्रशासन में निजी प्रशासन में भिन्नता

5) सामान्य व्यवहार में दोनों प्रशासन में भिन्नता

6)उत्तरदायित्व का अंतर

7)लोक प्रशासन व निजी प्रशासन को लेकर जनता के दृष्टिकोण में अंतर।

इत्यादि

Ans 32.

1) संविधान के द्वारा राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया गया है।
2) राज्य प्रशासन वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भर रहते हैं। अपनी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए पूर्णतया केंद्रीय सहायता पर निर्भर होते हैं।
3) देश में संकटकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य प्रशासन केंद्र प्रशासन के दिन आ जाता है।
4) भारत में पंचायती राज एक्ट लागू होने के पश्चात स्थानीय संस्थाओं को राज्य प्रशासन के अधीन कर दिया गया है।
5) भारत में राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है।
6) राज्य प्रशासन में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रवेश होने से राज्य प्रशासन की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ा है।

इत्यादि।

Ans 33 अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं - 4

1) वह भारत का नागरिक हो

2) उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो

3) वह संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य ना हो

4) सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो

5) वह पागल या दिवालिया ना हो।

इत्यादि।

अथवा

1) विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है परंतु राज्यपाल उसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है।
2) राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह आम चुनाव के बाद विधान पालिका का अधिवेशन बुलाए और उसके सामने नीति तथा भाभी कार्यक्रम का वर्णन करें।
3) राज्य विधान मंडल जो बिल पास करता है वह गवर्नर के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है कि अनुमति के पश्चात वह एक्ट बनता है तथा कानून के रूप में लागू होता है।
4) जिन राज्यों में दवि सदनात्मक विधान पालिका है वहां ऊपरी सदन विधान परिषद के कुछ सदस्यों को गवर्नर सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के आधार पर मनोनीत करता है।
5) जब राज्य के विधान मंडल का अधिवेशन में हो रहा हो तो गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है।
6) राज्यपाल को अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य सरकार के काम को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए और उसे काम को मंत्रियों में बांटने के लिए नियमों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। इत्यादि।

Ans 34 संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति. राज्यपाल द्वारा की जाती है।राज्य विधानसभा में जिस राजनीतिक दल अथवा दलीय गठबंधन का बहुमत होता है उसे दल के नेता को राज्यपाल ,मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। 1+3

मुख्यमंत्री के कार्य

1) मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना

2) विभिन्न विभागों में समन्वय करना

3) राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य करना

4) मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना

5) मंत्रियों को पद से हटाना

6) मंत्री परिषद का पुनर्गठन करना

7)महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां

8)राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करना

इत्यादि ।

Ans 35.

1) विकास योजनाओं को लागू करना, उत्पादन में वृद्धि करने के. 4 प्रयास करना और लोगों के लिए रोजगार पैदा करना।
2) क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाएं बढ़ाना, भूमि को उपजाऊ बनाने की नीति बनाना, फसल की बीमारी से बचाव के प्रबंध करना ,अच्छे बीज और खाद का वितरण करना, पशुओं की नस्ल सुधारना ,पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
3) कुटीर उद्योगों ग्रामीण कला तथा कारीगरी का विकास ,प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना।
4) स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीके लगवाने की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों तथा नालियों का निर्माण, सफाई करवाना।
5) पिछड़ी जातियों के विकास की योजनाएं बनाना, अल्प बचत व बीमा द्वारा धन जमा करने को प्रोत्साहन देना पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करना।
 इत्यादि।

 अथवा



Ans.प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम निधि होगी जिसमें से ग्राम. पंचायत खर्च कर सकेगी। ग्राम पंचायत की आय के साधन निम्न हैं

1) सरकारी अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान
2) जनता से प्राप्त अनुदान अथवा ऋण
3) पशु मेला या अन्य मेलों में दुकानदारों से प्राप्त आय
4) गृह कर द्वारा आय
5) वसूल किए गए कर शुल्क, दान, उपहार आदि
6) पंचायत द्वारा किए गए जुर्माने से प्राप्त आए
 इत्यादि।

भाग -द

Ans.36 कानून का अर्थ मनुष्य के बाहरी व्यवहार के ऐसे नियमों से है जो राजनीतिक प्रभु सत्ता से स्वीकृत होते हैं। कानून व प्रशासन में घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए विल्सन ने लिखा है- "लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून का व्यापक अधिशासी स्वरूप बन जाता है।"अर्थात कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में लागू करने का नाम ही लोक प्रशासन है और कानून को लागू करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया होती है लोक प्रशासन व कानून के मध्य परस्पर संबंध निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-

1) कानून द्वारा प्रशासन की सीमा निर्धारित करना- लोक प्रशासन देश के कानून के अंतर्गत ही कार्य करता है प्रशासक कानून द्वारा स्वीकृत कार्य ही करते हैं प्रशंसकों की शक्तियों व अधिकार कानून द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

2) लोक प्रशासन कानून की एक शाखा या उप- भाग के रूप में- कानून को लोक प्रशासन का उद्देश्य और लोक प्रशासन को उसका माध्यम माना जाता है।

3) कानून -निर्माण में लोक प्रशासन की भूमिका- कानून निर्माण से पूर्व अधिकांश विधायक प्रशासकीय विभागों में तैयार किए जाते हैं इन विभागों में कानून का प्रारूप तैयार किया जाता है। विधान मंडलों के पास समय का अभाव होता है अतः वे प्रशासन को कानून बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर देते हैं और प्रशासन विधानमंडल की सीमा मापदंड विसटों के अनुसार कानून का निर्माण करता है। प्रशासन द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानून को अधीनस्थ विधान या प्रत्यधिकृत विधान कहते हैं।



4) कानून के द्वारा प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाता है।
5) प्रशासन की सब विवेक शक्ति का दुरुपयोग कानून द्वारा काम करना
6) सामाजिक एवं आर्थिक कानून निर्माण में प्रशासन की प्रमुख भूमिका होती है।
7) संवैधानिक कानून व लोक प्रशासन में घनिष्ठ संबंध होता है
8) कानून द्वारा प्रशासनिक शक्तियों व नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है।
9) कानून द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की प्रशासकीय अत्याचारों से रक्षा की जाती है।

इत्यादि।

निष्कर्ष- 5+1

अथवा

Ans राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में आती घनिष्ठ संबंध है। जितना गहरा संबंध लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से है उतना किसी अन्य सामाजिक विज्ञान से नहीं। राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन का पैत्रक अनुशासन है क्योंकि लोक प्रशासन का जन्म राजनीति शास्त्र की कोख से हुआ है। सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं की राजनीति और प्रशासन का चोली दामन का साथ है दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकते एक दूसरे से अलग रहने पर दोनों ही अपूर्ण व निष्क्रिय हो जाएंगे।

इन दोनों के बीच संबंधों का अवलोकन करते समय हमारे सामने दो प्रकार के विचार आते हैं-

प्रथम दृष्टिकोण- लोक प्रशासन में राजनीतिक विज्ञान में मौलिक अंतर है और दोनों अलग-अलग विषय हैं। यह परंपरागत दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों में वुड्रो विल्सन ब्लंट शैली तथा गुडनों का नाम आता है। इस विचार के अनुसार राजनीति का कार्य लोकनीति का निर्माण करना तथा प्रशासन का काम लोक नीति को लागू करना है।

राजनीति विधान पालिका राजनीतिक दल तथा दबाव समूह तक सीमित है जबकि लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका से संबंधित है दोनों व्यवसाय के रूप में भी अलग-अलग है। राजनीति राजनेताओं का कार्य क्षेत्र है ,जबकि प्रशासन में प्रशासक कार्यालीन रहते हैं।

द्वितीय दृष्टिकोण- यह आधुनिक दृष्टिकोण है इस दृष्टिकोण के अनुसार यह मान लिया जाता है की राजनीति और प्रशासन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन और राजनीति में संबंध हम इस प्रकार कर सकते हैं-

1) सामान्य उद्देश्य- लोक प्रशासन और राजनीति दोनों का उद्देश्य जनता की भलाई करना है।
2) राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर निर्भर करती है। साथ ही शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सहयोग के बिना प्रशासन का चलना संभव हो जाता है।
3) मंत्रियों को प्रशासक प्रभावित करते हैं नीति निर्धारण से संबंधित तथ्य तथा आंकड़े प्रशंसकों द्वारा ही जुटाए जाते हैं।
4) मंत्रियों को परामर्श देने तथा त्रुटि पूर्ण नीति को ने चुनने की चेतावनी देने का कार्य प्रशंसकों द्वारा किया जाता है। मंत्री प्रशंसकों द्वारा दी गई सलाह या चेतावनी को मानने के लिए बाध्य नहीं है अंतिम निर्णय उनके हाथों में होता है फिर भी मंत्री उनकी सलाह को अनदेखा नहीं कर सकते।
5) स्थानीय प्रशासन तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं।

निष्कर्ष- लोक प्रशासन और राजनीतिक के मध्य संबंधों के विवेचन में हमें अतिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। वास्तव में राजनीति लोक प्रशासन को नियंत्रित करती है और लोक प्रशासन राजनीति को दिशा निर्देश देता है।

Ans. 37 जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक का पद अति महत्वपूर्ण पद माना जाता है। वह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति कायम रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। वह भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय परीक्षा पास करने के बाद मेरिट के आधार पर इस अधिकारी की नियुक्ति होती है। 1+5

पुलिस अधिनियम ,1861 के अनुसार पुलिस अधीक्षक के मुख्य कार्य निम्न है-

1) कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्णय लेना
2) चौकसी के माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण रखना
3) आपराधिक जांच विभाग का निरीक्षण करना
4) थानों का निरीक्षण करना
5) पुलिस प्रशासन की प्रगति का मूल्यांकन करना
6) पुलिस प्रशासन के कल्याण के लिए प्रयास करना
7) जनता से अच्छे संबंध बनाए रखना
8) अधीनस्थ पुलिस से संगठनों को आवश्यक सेवाएं व वस्तुएं प्रदान करवाना
9) पुलिस कार्मिक प्रशासन संबंधी मामलों जैसे भर्ती ,प्रशिक्षण ,पदोन्नति तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेना
10) समय-समय पर अप पुलिस महानिरीक्षक को उपयुक्त के माध्यम से जिला पुलिस प्रशासन की गतिविधियों पर रिपोर्ट भेजते रहना
इत्यादि।

निष्कर्ष- उपर्युक्त आधार पर स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक का पद जिला प्रशासन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिले में जिलाधीश के बाद उसका स्थान दूसरे स्थान पर आता है। निःसंदेह वह जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के चुनौती पूर्ण कार्य को निभाने के लिए उत्तरदायी होता है।

अथवा

Ans.जिला प्रशासन के शिखर पर एक अधिकारी होता है जिसे उपायुक्त या जिला कलेक्टर कहते हैं। इसे जिला प्रशासन की धुरी कहा जाता है। उसे सरकार की आंख व कान, जिला प्रशासन की चाप का केंद्र ,जिले का प्रथम नागरिक, जिले का प्रशासन या सर्वोच्च अध्यक्ष, प्रजातंत्र का मित्र और पंचायती राज व्यवस्था का अध्यक्ष भी कहा जाता है। भारतीय प्रशासन में उसे विशेष दर्जा प्राप्त है ।

न्याय प्रशासन को छोड़कर जिले के बाकी सभी कार्यक्रम उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उपायुक्त के कार्य निम्नलिखित हैं -

1) जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना
2) जिलाधीश का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राजस्व एकत्रित करना है इसी कारण से कलेक्टर भी कहते हैं।
3) जिलाधीश जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सभी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने का उत्तरदायित्व उसी का है।
4) जिले के तकनीकी विभागों के संबंध में उसकी सलाहकार भूमिका होती है इन तकनीकी विभागों के अंतर्गत कृषि विभाग सिंचाई विभाग तथा उद्योग विभाग आते हैं। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने विभाग के मामले में स्वतंत्र होता है, परंतु व्यवहार में जिलाधीश के प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
5) विकास और कल्याणकारी कार्यों में जिलाधीश की भूमिका
6) स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से जिलाधीश का गहरा संबंध है। इन संस्थाओं द्वारा लागू की गई विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं के निरीक्षण में, स्थानीय शासन द्वारा राज्य सरकार के मध्य कड़ी के रूप में ,इन संस्थानों पर सामान्य नियंत्रण रखना जिलाधीश के प्रमुख कार्य हैं।
7) विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है ।
8) जिलाधीश जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है ।
9) महत्वपूर्ण स्मृतियों के अध्यक्ष के रूप में जिलाधीश की भूमिका होती है ।

इत्यादि।

Ans. 38 सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी देना और उसके बारे में जनता की प्रतिक्रिया जानना ही लोक संपर्क का मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न विद्वानों ने लोक संपर्क की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं - 1+5

मिलेट के अनुसार- "लोक संपर्क किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा जनता में आवश्यक प्रभाव के प्रसार के लिए कलात्मक प्रचार है।''

जे.एल. मैकेनी के अनुसार- "प्रशासन में लोक संपर्क अधिकारी वर्ग तथा नागरिकों के बीच पाए जाने वाले प्रधान एवं गौण संबंधों तथा इन संबंधों द्वारा स्थापित प्रभाव एवं दृष्टिकोण की परस्पर क्रियाओं का मिश्रण ।''

लोक संपर्क के कार्य निम्न हैं -

1) सरकार की उपलब्धियां की जानकारी देना
2) जनता की इच्छा और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना
3) कानून व नियमों की व्याख्या करना
4) प्रशासन के प्रति जनमत का पता लगाना
5) जनता द्वारा आलोचना का स्पष्टीकरण देना
6) लोक प्रशिक्षण देना
7) विज्ञापन द्वारा सरकारी वेबसाइट संस्थाओं का प्रचार प्रसार करना
8) देश भक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की शिक्षा देना



इत्यादि।

अथवा

Ans.सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी देना और उसके बारे में जनता की प्रतिक्रिया जानना ही लोक संपर्क का मुख्य उद्देश्य है। लोक संपर्क की परिभाषाएं-

मिलेट के अनुसार- "लोक संपर्क किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा जनता में आवश्यक प्रभाव के प्रसार के लिए कलात्मक प्रचार है।''

1) जनता में उदासीनता के प्रवृत्ति का होना
2) अधिकारी वर्ग में लापरवाही तथा उपेक्षा की प्रवृत्ति का होना
3) धन का अभाव
4) निष्पक्ष दृष्टिकोण का अभाव
5) अधिकारी वर्ग में संकुचित हित साधने का भाव
6) भ्रष्टाचार को विकसित करने की प्रवृत्ति का पाया जाना

7) पूर्वाग्रह का पाया जाना

इत्यादि।



Sample Papers

- CBSE Sample Papers
- ICSE / ISC Board Sample Papers
- AP Board Sample Papers
- Assam Board Sample Papers
- Bihar Board Sample Papers
- Chhattisgarh Board Sample Papers
- Goa Board Sample Papers
- Gujarat Board Sample Papers
- Haryana Board Sample Papers
- HP Board Sample Papers
- J&K State Board Sample Papers
- Jharkhand Board Sample Papers
- Karnataka Board Sample Papers
- Kerala Board Sample Papers

Sample Papers

- MP Board Sample Papers
- Maharashtra Board Sample Papers
- Manipur Board Sample Papers
- Mizoram Board Sample Papers
- Orissa Board Sample Papers
- Punjab Board Sample Papers
- Rajasthan Board Sample Papers
- Tamil Nadu Board Sample Papers
- Telangana State Board Sample Papers
- Tripura Board Sample Papers
- UP Board Sample Papers
- Uttarakhand Board Sample Papers
- West Bengal Board Sample Papers

